संख्या-25/2016/2722/71-1-2015-जी-200/2013

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 26 फरवरी, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु अनुदान संख्या-31 में उपकरण मद में स्वीकृत धनराशियों की उपयोगिता अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/2111, दिनॉक 14-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय संस्थानों (हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर) हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपकरणों हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 1,41,29,90,000/- की धनराशि को आहरित कर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रखने की अनुमति शासनादेश संख्या-1179/71-1-2014-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2014 द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसकी उपयोगिता अवधि शासनादेश संख्या-165/2015/2151/71-1-2015-जी-200/2013, दिनॉक 29-10-2015 द्वारा 03 माह (दिनॉक 31-12-2015) तक विस्तारित की गयी थी, जो दिनॉक 31-12-2015 को पूर्ण हो रही है।

3- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 60,00,29,405.49 में से संलग्न तालिका में वर्णित विवरण के अनुसार रू0 32,60,63,065.00 का आहरण कर लिया गया है एवं उक्त आहरण के उपरान्त रू0 27,39,66,340.00 की धनराशि अवशेष है।

4- आपके उक्त पत्र दिनॉक 14-12-2015 में वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत श्री राज्यपाल शासनादेश दिनॉक 31-03-2014 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में अवशेष धनराशि रू0 27,39,66,340.00 की उपयोगिता अवधि 03 माह (दिनॉक 31-03-2016 तक) विस्तारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है तथा इसी वित्तीय वर्ष (2015-16) में पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। शासनादेश दिनॉक 31-03-2014 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-274/दस-2016, दिनॉक 24 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत् किए जा रहे है।

संलग्नक--यथोक्त।

भवदीय

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 25/2016/2722(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
4- प्रोफेसर-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
9- नियोजन अनुभाग-4
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।